रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1702] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2015/श्रावण 22, 1937
No. 1702] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2015/SHRAVANA 22, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2015

का.आ. 2199(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए), तमिलनाडु (जिसे इसमें इसके पश्चात् तमिलनाडु के लिए प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1. डा. कल्याण सुन्दरम, —अध्यक्ष
आई.एफ.एस. (सेवानिवृत्त),
11, दूसरा क्रास स्ट्रीट, जी 3,
श्री अपार्टमेंट्स, यूनाइटेड इंडियन कालोनी,
कोडमबक्कम, चेन्नई – 600024

2. तिरु वी. गणेशन, —सदस्य
टी 14, ब्लॉक डी, जैन अवंतिका,
मनापक्कम, मेन रोड,
मनापक्कम, चेन्नई – 600116

3. पर्यावरण निदेशक
तमिलनाडु सरकार । —सदस्य-सचिव ।

2. तमिलनाडु प्राधिकरण का अध्यक्ष और गैर-शासकीय सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

3. तमिलनाडु प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जो इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट हैं ।

4. तमिलनाडु प्राधिकरण, पैरा 5 के अधीन तमिलनाडु राज्य के लिए गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर अपने विनिश्चय को आधारित करेगा ।

5. तमिलनाडु प्राधिकरण की सहायता करने के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार तमिलनाडु सरकार के परामर्श से तमिलनाडु राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन करती है (जिसे इसमें इसके पश्चात् रा.स्त.वि.मू.स. कहा गया है), जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(i)	डा. जे.के. पेटरसन एडवर्ड, निदेशक सुंगति देवादसन मेरिन रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसडीएमआर), 44-बीच रोड, तूतीकोरिन - 628001	अध्यक्ष
(ii)	डॉ. के. थानेशेकरन, 41, 4 क्रॉस स्ट्रीट, बालामुरुगन गार्डन, थोराइपक्कम, चेन्नई-600097	सदस्य
(iii)	डॉ. ए. नवनीता गोपालकृष्णन, 996 (न्यू कोई 9), 42 वीं स्ट्रीट, कोराटूर, चेन्नई-80	सदस्य
(iv)	डॉ. के. एस. कवि कुमार, प्रोफेसर, मद्रास अर्थशास्त्र के स्कूल, गांधी मंडपम रोड, चेन्नई – 25	सदस्य
(v)	डॉ. आई. के. वलीवित्तन, प्रोफेसर और प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सेंट पीटर्स विश्वविद्यालय अवड़ी, चेन्नई - 600054	सदस्य

(vi)	डॉ. इनंदुमति एम. नम्बी, एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, पर्यावरण और जल संसाधन इंजीनियरी, सिविल इंजीनियरी विभाग, आईआईटी, चेन्नई ।	सदस्य
(vii)	डॉ. जी. एस विजयलक्ष्मी प्रोफेसर (सेवानिवृत्त), एसपीके, पर्यावरण विज्ञान केंद्र, मनोमणियम सुंदरनगर विश्वविद्यालय, अलवारकुरुचि - 627412 तमिलनाडु	सदस्य
(viii)	डॉ. एम. जयप्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर, एप्लाइड जियोलॉजी, मद्रास विश्वविद्यालय ।	सदस्य
(ix)	डॉ. वी. सिवासुब्रम्णियन, 38/4, एवरेस्ट कॉलोनी, 10वां ब्लॉक, पारी सलाई, मोगाप्पेयर पूर्व, चेन्नई-600037	सदस्य
(x)	श्री शणमुगमसुन्द्रम, टी3-कला फ्लैट, 1 ए-सेंट्रल एवेन्यू, कोडाम्बक्कम चेन्नई - 600024	सदस्य
(xi)	श्री तिरुमलईवासन देवराजन, निदेशक, आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र, (सीडीएमएम) अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई-25 और सिविल इंजीनियरी प्रोफेसर अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई-25	सदस्य
(xii)	श्री वी. सुगीरतराज कोयलपिल्लै, 63/847/28वां स्ट्रीट, शांति नगर, तिरुनेलवेल्ली – 627002 तमिलनाडु	सदस्य
(xiii)	सदस्य-सचिव, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।	सदस्य-सचिव

6. रा.स्त.वि.मू.स. तमिलनाडु के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. रा.स्त.वि.मू.स तमिलनाडु, उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगी और प्रक्रिया का पालन करेगी ।

8. रा.स्त.वि.मू.स. तमिलनाडु, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

9. तमिलनाडु राज्य सरकार, प्राधिकरण, तमिलनाडु और रा.स्त.वि.मू.स. के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने को किसी अभिकरण, रा.स्त.वि.मू.स को अधिसूचित करेगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन जिसके अंतर्गत स्थान, परिवहन और इसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

10. तमिलनाडु प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा रा.स्त.वि.मू.स तमिलनाडु के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता तमिलनाडु राज्य सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसरण में संदेय होंगे ।

[फा. सं.जे.11013/97/2007-आईए.II(I)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2015

S.O. 2199(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Tamil Nadu (hereinafter referred to as the Authority for Tamil Nadu) comprising of the following Members, namely:—

(a)	Dr. S. Kalyana Sundaram, IFS (Retired), No. 11, 2nd Cross Street, G-3, Sree Apartments, United Indian Colony, Kodambakkam, Chennai - 600024.	—Chairman
(b)	Thiru V. Ganesan, T14, Block "D', Jains Avantika, Manapakkam, Main Road, Manapakkam, Chennai-600116	—Member
(c)	Director of Environment, Government of Tamil Nadu	—Member-Secretary

2. The Chairman and non-official Member of the Authority for Tamil Nadu shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority for Tamil Nadu shall exercise such powers and follow the procedures as specified in the said notification.

4. The Authority for Tamil Nadu shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Tamil Nadu.

5. For the purposes of assisting the Authority for Tamil Nadu, the Central Government, in consultation with the Government of Tamil Nadu, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Tamil Nadu (hereinafter referred to as SEAC for Tamil Nadu) comprising of the following Members, namely:—

(i)	Dr. J. K. Patterson Edward, Director, Suganthi Devadasan Marine Research Institute (SDMR), 44-Beach Road, Tuticorin – 628001.	Chairman
(ii)	Dr. K. Thanasekaran, 41, 4th Cross Street, Balamurugan Garden, Thoraipakkam, Chennai-600097.	Member
(iii)	Dr. A. Navaneetha Gopalakrishnan, No. 996 (New No. 9), 42nd Street, Korattur, Chennai-80.	Member
(iv)	Dr. K. S. Kavi Kumar, Professor , Madras School of Economics, Gandhi Mandapam Road, Chennai – 25	Member
(v)	Dr. K.Valivittan, Professor and Head Department of Biotechnology, St. Peter's University Avadi, Chennai – 600054.	Member
(vi)	Dr. Indumathi M. Nambi, Associate Professor and Head of the Division, Environment and Water Resources Engineering, Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology, Madras.	Member
(vii)	Dr. G. S. Vijayalakshmi Professor (Retired), SPK Center for Environment Science, Manonmaniam Sundaranar University, Alwarkurichi – 627412, Tamil Nadu, India.	Member
(viii)	Dr. M. Jayaprakash, Associate Professor, Department of Applied Geology, University of Madras.	Member
(ix)	Dr. V. Sivasubramanian, 38/4, Everest Colony, 10th Block, Paari Salai, Mogappair East, Chennai-600037.	Member
(x)	Shri V. Shanmugasundaram, T3-Kala Flats, 1A-Central Avenue, Kodambakkam, Chennai – 600024.	Member
(xi)	Shri Thirumalaivasan Devarajan , Director, Centre for Disaster Mitigation and Management (CDMM), Anna University, Chennai – 25 and Professor in Civil Engineering, Anna University, Chennai 600025 India.	Member
(xii)	Shri B. Sugirtharaj Koilpillai, 63/847/28th Street, Shanthi Nagar, Tirunelveli – 627002, Tamil Nadu.	Member
(xiii)	Member-Secretary, Tamil Nadu Pollution Control Board.	Member-Secretary

6. The Chairman and Members of State Level Expert Appraisal Committee for Tamil Nadu shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The State Level Expert Appraisal Committee for Tamil Nadu shall exercise the powers and follow the procedures as specified in the said notification.

8. The State Level Expert Appraisal Committee for Tamil Nadu shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The Government of Tamil Nadu shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority for Tamil Nadu and State Level Expert Appraisal Committee for Tamil Nadu and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of the Authority for Tamil Nadu and the Chairman and Members of State Level Expert Appraisal Committee for Tamil Nadu shall be paid in accordance with the concerned rules of the Government of Tamil Nadu.

[F. No. J-11013/ 97/ 2007- IA.II (I)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.